

प्रेस- वज्रपति

जनपद भदोही-थाना औराई

दिनांक- 25 जुलाई 2026

"अवैध हथियार के साथ पकड़े गए शातिर चोर, यह मुठभेड़ पुलिस की सतर्कता का प्रमाण है।" कानून के डर से अब अपराधी पनाह मांग रहे हैं।"

*"सड़क पर शांति और कानून का राज कायम रखने के लिए, पुलिस का साहसी/सराहनीय कार्य के क्रम में थाना औराई पुलिस/स्वाट टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में अंतर्जनपदीय 02 शातिर चोरों को गरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। कब्जे से 02 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद खोखा कारतूस व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 4.84 ग्राम हीरोइन व 03 अदद मोबाइल फोन एवं चोरी की शेष नकदी ₹3600/- बरामद।"

घटना का संक्षिप्त ववरण :-

थाना औराई पर आवेदक अंशु बरनवाल पुत्र श्री अनिल कुमार, निवासी ग्राम माधो सिंह (खमरिया रोड पर), थाना औराई, जनपद भदोही द्वारा सूचित किया गया कि मैं उक्त स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक (S.B.I.) का एक ग्राहक सेवा केन्द्र संचालित करता हूँ। दिनांक 11/12 जुलाई 2026 की मध्य रात्रि को करीब 2:30 बजे ग्राहक सेवा केन्द्र की छत की जाली को तोड़कर घर के अंदर घुसकर ग्राहक सेवा केन्द्र से कुल 4,80,000 रुपये (चार लाख अस्सी हजार रुपये) नगद चोरी कर लिया गया है। ग्राहक सेवा केन्द्र के अंदर लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में दो अज्ञात व्यक्ति मुंह बांधकर चोरी करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। मु0अ0सं0 304/26 धारा 305(a), 331(4) बीएनएस थाना औराई जनपद भदोही केवी पंजीकृत कर व धक कार्रवाई प्रचलित की गई।

*** गरफ्तारी/पुलिस मुठभेड़ का ववरण:-***

श्री अभिनव त्यागी, पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में तथा *श्री शुभम अग्रवाल*, अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल पर्यवेक्षण में थाना औराई पुलिस/स्वाट टीम द्वारा आज दिनांक 25.07.2026 को समय 00:10 AM, थाना औराई क्षेत्र अंतर्गत, थाना औराई पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिरी द्वारा सूचना दिया गया कि इमरान व शाकर उर्फ अण्डा उपरोक्त दोनों अन्तरजनपदीय शातिर कस्म के चोरी करने के अपराधी हैं, जिनके पास अवैध शस्त्र व कारतूस भी हो सकता है तथा उनके वरुद्ध अलग-अलग थानों व जनपदों में मुकदमा दर्ज है। उक्त सूचना पर माधव सिंह रेलवे स्टेशन के पास *पुलिस मुठभेड़* में थाना औराई पर पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 304/26 धारा 305(a),331(4) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अ भयुक्तगण 1.इमरान पुत्र बाबू निवासी 60 फुटा रोड समर गार्डन कालोनी थाना लसाडीगेट जनपद मेरठ व 2. शा कर उर्फ अण्डा पुत्र यासीन निवासी दरबार मोहल्ला कस्बा लावड थाना इंचौली जनपद मेरठ को गरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। अ भयुक्तों के अन्य घटनाओं में संलप्तता की जानकारी की जा रही है। मुठभेड़ में गरफ्तार अ भयुक्तों के कब्जे से 02 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद खोखा कारतूस व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 4.84 ग्राम हीरोइन व 03 अदद मोबाइल फोन एवं मु0अ0सं0 304/26 से संबंधित 3600/- रु0 बरामद किया गया। अ भयुक्तों द्वारा पु लस टीम पर जान से मारने के इरादे से तमंचे से फायर किया गया। जवाबी कार्यवाही में पु लस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग के दौरान दोनों अ भयुक्तों के पैर में घुटने के नीचे गोली लगी है। घायल अ भयुक्तों को इलाज हेतु समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई भेजा गया है। जहां घायल अ भयुक्तों की स्थिति सामान्य है। मुठभेड़ में गरफ्तार इमरान पुत्र बाबू एवं शा कर उर्फ अण्डा पुत्र यासीन पर अनेक जनपदों में क्रमशः करीब *05, व 10* अ भयोग पंजीकृत है। गरफ्तार अ भयुक्तों से पूछताछ की जा रही है। पु लस उच्चाधिकारीगण के नेतृत्व में फॉरेसिक टीम/फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए करते हुए अ भयुक्तों के वरुद्ध मु0अ0सं0-323/2026 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट एवं 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना औराई जनपद भदोही का अ भयोग पंजीकृत कर आवश्यक व धक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का ववरण:-

मुठभेड़ में गरफ्तार अ भयुक्तों द्वारा बताया गया क हम लोग हेरोइन का नशा करने के आदी हैं। दिनांक 11/12.06.2026 की रात्रि में हम लोगों ने माधो सिंह (थाना क्षेत्र औराई) स्थित एक ग्राहक जन सेवा केंद्र की दुकान को निशाना बनाया था। हम दुकान की छत पर लगे लोहे की ग्रल को काटकर अंदर घुसे थे और वहां से नगदी रुपयों की चोरी की थी। जिसमें से ₹20,000 देकर एक कार कराये पर ली और मेरठ चले गए, ₹10,000 रास्ते में खाने-पीने में खर्च हुए, ₹33,000 की हेरोइन खरीदी, जो हमारे कब्जे से बरामद हुई है। हम लोगों ने ₹10,000 - ₹10,000 आपस में बांट लए तथा शेष राश अच्छे होटलों में रहने, ऐशो-आराम और अपने शौक पूरे करने में खर्च हो गई। आज हमारे पास से जो भी नकदी बरामद हुई है, वह उसी चोरी की रकम में से बची हुई शेष राश है। आज भी हम लोग चोरी की कसी अन्य घटना को अंजाम देने की फराक में घूम रहे थे। हम लोग पकड़े जाने के डर से और अपनी सुरक्षा के लए हमेशा अपने पास अवैध तमंचा और कारतूस रखते हैं। पु लस पार्टी द्वारा घेराबंदी कए जाने पर, हम लोगों ने खुद को घिरा पाकर पु लस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर भागने का प्रयास किया। पु लस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में हमारे पैर में गोली लग गई, जिसके बाद आप लोगों (पु लस टीम) द्वारा हमें मौके पर पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान पैंट की दाहिनी जेब से 01 अदद स्क्रीन टच मोबाइल, 01 अदद जियो भारत कंपनी का कीपैड मोबाइल, अवैध असलहा-कारतूस, चोरी की शेष नकदी और हेरोइन बरामद हुई है।

* गरफ्तार अ भयुक्त का नाम एवं पता:-*

1.अंतर्जनपदीय अ भयुक्त इमरान पुत्र बाबू निवासी 60 फुटा रोड समर गार्डन कालोनी थाना लसाडीगेट जनपद मेरठ।

2.अंतर्जनपदीय अ भयुक्त शा कर उर्फ अण्डा पुत्र यासीन निवासी दरबार मोहल्ला कस्बा लावड थाना इंचौली जनपद मेरठ।

पंजीकृत अ भयोग:-

मु0अ0सं0- 323/2026

भारतीय न्याय संहिता- धारा 109(1) और धारा 3(5)

आयुध अ धनियम- धारा 3 और धारा 25

एनडीपीएस- धारा 8 और धारा 21

थाना औराई जनपद भदोही

आपरा धक इतिहास:-

मुठभेड में गरफ्तार इमरान पुत्र बाबू पर 05 अ भयोग एवं शा कर उर्फ अण्डा पुत्र यासीन पर 10 अ भयोग पंजीकृत है। अन्य अ भयोगों की जानकारी की जा रही है।

* गरफ्तार करने वाली पु लस टीम:-*

टीम-1. राजेश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना औराई, उ0नि0 अजय कुमार ओझा, कां0 रंजीत सिंह, कां0 वैभव सिंह, चालक हे0का0 एकलाख खान थाना औराई जनपद भदोही

टीम -2. निरीक्षक अपराध शेतांषु शेखर पंकज, उ0नि0 श्याम जी यादव, उ0नि0 अजय कुमार ओझा, हे0का0 कमलेश यादव, कां0 पवनेश राय, कां0 शेषनाथ थाना औराई जनपद भदोही।

टीम - 3. उ0नि0 राजकुमार पाण्डेय प्रभारी स्वाट्स वर्लांस सेल, हे0कां0 राधेश्याम कुशवाहा, हे0कां0 धीरेन्द्र श्रीवास्तव, हे0कां0 बृजेश सूर्यवंशी, हे0कां0 नागेन्द्र यादव, कां0 गोपाल खरवार, कां0 नीरज यादव, कां0 राघवेन्द्र कुशवाहा, कां0 मन्नु सिंह, कां0 सुनील पाल, कां0 सुनील कन्नौजिया, कां0 हिमांशु सिंह, कां0 दीपक यादव, कां0 प्रत्युष पाठक समस्त स वर्लांस स्वाट टीम।